इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 7757-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 18 मार्च 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ६ सन् २०१३

मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, २०१३

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय—एक
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.

२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो
निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना का तैयार किया जाना

३. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना के अधीन उपबंध.

४. योजना के क्षेत्र का प्रकाशन.

५. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना के प्रारुप का तैयार किया जाना.

६. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना की विषय-वस्तु.
७. एजेन्सी द्वारा योजना के प्रारुप का प्रकाशन.
८. आपत्तियां, अपील, अनुमोदन और अन्तिम प्रकाशन.
९. भूमि का अर्जन.

अध्याय—तीन

विकास पर नियन्त्रण

१०. विकास तथा भू-उपयोग पर नियन्त्रण.
११. एजेन्सी द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसार विकास.
१२. अंतिम योजना, योजना क्षेत्र की विकास योजना होगी.
१३. कतिपय अधिनियमों के उपबंधों का राज्य सरकार की अधिसूचना से प्रवर्तन में न रहना.
१४. भूखण्ड का संविलियन या विभाजन.
१५. अप्राधिकृत विकास, भवन निर्माण या विकास योजना या योजना के अनुरूपत: उपयोग से भिन्न उपयोग करने के लिए शास्ति.
१६. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.
१७. एजेन्सी के आदेश के विरुद्ध अपील.
१८. शर्तों के भंग की दशा में आवंटन, बकाया की वसूली, शास्ति तथा समपहरण.
१९. प्रवेश आदि की शक्ति.

अध्याय—चार

एजेन्सी द्वारा उपबंधित किए जाने वाले कर तथा विषय

२०. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले कर.
२१. उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.
२२. एजेन्सी द्वारा उपबंधित किए जाने वाले विषय.

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

२३. रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क से छूट.
२४. करार की लिखत पर स्टाम्प शुल्क से छूट.
२५. योजना का उपांतरण.
२६. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध योजना का लोक प्रयोजन के लिए समझा जाना.
२७. संपत्ति का निपटारा.
२८. सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.
२९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
३०. एजेन्सी को अपने मामलों के प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति.
३१. एजेन्सी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.
३२. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.
३३. नियम तथा विनियम बनाने की शक्ति.
३४. कठिनाइयों का दूर किया जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१३

मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश में निवेश क्षेत्रों की योजना बनाने, उनका संचालन करने तथा उनका विकास करने के लिए और निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजनाओं का क्रियान्वयन करने तथा उससे संसक्त तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध अधिनियम, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(४) इस अधिनियम में की कोई भी बात—

(एक) छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) के अधीन किसी छावनी के भीतर समाविष्ट भूमियों को;

(दो) केन्द्र सरकार अथवा इसकी प्राधिकृत एजेंसियों के अधिभोग में की भूमियों को; और

(तीन) रेल अधिनियम, १९८९ (१९८९ का २४) के अध्याय चार के अधीन निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों के प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन के नियन्त्रण के अधीन की भूमियों को,

लागू नहीं होगी.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''एजेन्सी'' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय या किसी विशेष प्रयोजन (एस.पी.वी.) के लिए या लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत/गठित कोई संगठन जिसे निवेश क्षेत्र के विकास और प्रबन्ध के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए;

(ख) ''सुख-सुविधाओं'' से अभिप्रेत है सभी आधारभूत तथा अत्यावश्यक सेवाएं जिसमें सम्मिलित हैं. सड़कें, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईटिंग, विद्युत आपूर्ति, मलवहन, जल-निकास, औद्योगिक तथा नगरपालिक अपशिष्टों का संग्रहण, उपचार तथा निपटान, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन सेवाएं, लोक उद्यान, क्लब, बाजार, दुकानें तथा आऊटलेट्स तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएं अथवा सेवाएं;

(ग) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है एजेन्सी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अथवा एजेन्सी;

(घ) ''भवन'' से अभिप्रेत है कोई मकान, झोपड़ी, शेड अथवा कोई अन्य संरचना, तथा उसका प्रत्येक भाग चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए हो और चाहे वह किसी भी सामग्री से निर्मित हो, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी और चाहे मानव निवास के रूप में उसका उपयोग किया जाता हो अथवा नहीं और इसमें सम्मिलित है कोई कुआं, शौचालय, जल निकास, मल जल प्रणाली, स्थिर प्लेटफार्म, बरामदा, नींव, चौखटें, चहारदीवारी, बाड़ और इनके सदृश और उनसे संसक्त कोई संकर्म, परन्तु इनमें किसी भवन में समाविष्ट संयंत्र या मशीनरी सम्मिलित नहीं हैं;

(ङ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी. ई. ओ.)'' से अभिप्रेत है एजेन्सी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(च) ''विकास'' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, अभिप्रेत है किसी भूमि में अथवा उसके ऊपर अथवा उसके नीचे कोई भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य संक्रिया करना अथवा किसी भवन या भूमि में या उनमें से किसी के भी उपयोग में कोई सारवान् परिवर्तन करना और इसमें किसी भूमि का उप-विभाजन सम्मिलित है;

(छ) निवेश क्षेत्र के संबंध में, ''विकास योजना'' अथवा ''योजना'', से अभिप्रेत है धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन प्रकाशित तथा समय-समय पर सम्यक् रूप से संशोधित योजना;

(ज) ''संचालक'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन नियुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है संघ सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकार;

(ञ) ''उद्योग'' से अभिप्रेत है किसी उद्योग से सम्बन्धित किसी माल के विनिर्माण या उत्पादन में या कोई सेवा या सेवाएं प्रदान करने या देने में किसी भी रीति में लगा हुआ कोई उपक्रम या कोई व्यावसायिक समुत्थान या कोई अन्य स्थापना, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ट) ''निवेश क्षेत्र'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई योजना अधिसूचित की गई हो और उसमें विनिर्माण सम्बन्धी, व्यावसायिक, आवासिक, सामाजिक तथा अन्य सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जाने वाला क्षेत्र सम्मिलित है;

(ठ) ''अधोसंरचना'' में सम्मिलित हैं औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक अथवा आवासीय अधोसंरचना अथवा विकास योजना के संबंध में कोई सुविधा;

(ड) ''भूमि'' का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ट) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है;

(ढ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है:—

(एक) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) द्वारा या उसके अधीन गठित ''ग्राम पंचायत'';

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) द्वारा या उसके अधीन गठित ''नगरपालिक निगम'';

(तीन) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) द्वारा या उसके अधीन गठित ''नगरपालिका परिषद्'';

(चार) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित कोई ''नगर परिषद्'';

(ण) ''अधिभोगी'' में सम्मिलित हैं—

(एक) किराएदार;

(दो) अधिभोगी स्वामी अथवा उसकी भूमि का अन्यथा उपयोग करने वाला;

(तीन) किराया मुक्त किराएदार;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी;

(पांच) भूमि के उपयोग तथा उसके अधिभोग के लिए स्वामी को नुकसानी का भुगतान करने का दायी कोई व्यक्ति;

(त) ''स्वामी'' से अभिप्रेत है किसी भवन या भूमि का स्वामी और इसके अंतर्गत आता है कोई सकब्जा बंधकदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के और अधिक फायदे के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के एजेन्ट, न्यासी, संरक्षक या प्रापक के रूप में या धार्मिक या खैराती संस्थाओं के लिए किसी भूमि का भाटक या प्रीमियम तत्समय प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या प्राप्त कर चुका हो, या उस दशा में जबकि वह भूमि पट्टे पर दी जानी हो, भाटक प्राप्त करेगा, या भाटक या प्रीमियम प्राप्त करने का हकदार होगा तथा किसी सरकारी विभाग का अध्यक्ष, किसी स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी प्राधिकारी, एजेन्सी, निगम या उपक्रम का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, चाहे वह किसी भी नाम से पदाभिहित हो, जहां तक कि उनके नियंत्रणाधीन सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, उसके (स्वामी के) अंतर्गत आते हैं;

(थ) ''निवेश क्षेत्र'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन निवेश क्षेत्र घोषित किया गया हो;

(द) ''भूखण्ड'' से अभिप्रेत है योजना के सम्यक् रूप से अनुमोदित अभिन्यास में अवस्थित कोई भूखण्ड या कोई परिसर;

(ध) ''योजना क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिस पर निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना तैयार की गई है और धारा ४ के अधीन प्रकाशित की गई है;

(न) ''नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा ३८ के अधीन स्थापित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी.

अध्याय—दो

निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना का तैयार किया जाना

निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना के अधीन उपबंध.

३. किसी निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना में, निवेश क्षेत्र के लिए अधोसंरचना तथा सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भूमि के अर्जन, विकास, विक्रय या उसे पट्टे पर देने के उपबंध हो सकेंगे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे:—

(एक) कोई कार्य जिससे कि निवेश क्षेत्र में सुधार लाया जा सकता है;

(दो) किसी विद्यमान निवेश क्षेत्र में और उसके आस-पास भवनों, सड़कों, नालियों, मलवहन लाइनों तथा वैसी ही अन्य सुविधाओं के प्रयोजन के लिए पुनर्निर्माण;

(तीन) निवेश क्षेत्रों की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांध/नहर के निर्माण तथा ऐसे ही अन्य संबंधित कार्यों के लिए भूमि का अर्जन;

(चार) विद्युत उत्पादन संयंत्रों, अपशिष्ट निपटान के स्थलों के निर्माण तथा ऐसे ही अन्य संबंधित कार्यों के लिए भूमि का अर्जन;

(पांच) संभार तंत्र-केन्द्र (लॉजिस्टिक हब (शुष्क पत्तन (ड्राई पोर्ट), कन्टेनर डिपो, संग्रहण डिपो (स्टोरेज डिपो) के निर्माण तथा ऐसे ही अन्य संबंधित कार्यों के लिए भूमि का अर्जन; और

(छह) औद्योगिक क्रियाकलापों तथा संबंधित कार्यों को सुकर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, प्रदर्शन मैदानों अथवा होटलों सहित सम्मेलन केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन.

योजना के क्षेत्र का प्रकाशन.

४. (१) राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान करने के लिए, जिसमें कि योजना प्रस्तावित की जा सकती हो, किसी एजेन्सी को प्राधिकृत कर सकेगी.

(२) एजेन्सी, उस भूमि की, जिस पर कि योजना आरंभ की जा सकती हो, पहचान करेगी तथा पहचान की गई भूमि पर योजना तैयार करने का प्रस्ताव, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी.

(३) राज्य सरकार, एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत योजना क्षेत्र के प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ जैसे कि वह समुचित समझे अनुमोदित कर सकेगी.

(४) इसमें इसके ऊपर उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित योजना क्षेत्र का प्रारूप ऐसे अनुमोदन से ३० दिन की कालावधि के भीतर एजेन्सी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और भूमि के स्वामियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो कि हितबद्ध हों, आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसी रीति में भी प्रकाशित किया जाएगा जो कि विहित की जाये.

(५) ऐसी आपत्तियां एवं सुझाव, जो कि उक्त योजना क्षेत्र के प्रारूप के संबंध में उपधारा (४) के अधीन एजेन्सी को प्राप्त हों, एजेन्सी द्वारा ऐसी रीति में सुने एवं विनिश्चित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए.

(६) एजेन्सी, उपधारा (४) के अधीन की गई आपत्तियों का, यदि कोई हो, विनिश्चय करने के पश्चात्, योजना क्षेत्र के प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जैसे कि वह समुचित समझे, अनुमोदित करेगी. एजेन्सी अन्तिम रूप से अनुमोदित योजना क्षेत्र को राजपत्र में प्रकाशित करेगी;

(७) इसमें इसके ऊपर उपधारा (६) के अधीन एजेन्सी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, अंतिम योजना क्षेत्र के राजपत्र में प्रकाशन से १५ दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत कर सकेगा, और वह ऐसी अपील का ४५ दिन के भीतर यथाविहित रीति में विनिश्चय करेगा. अपील प्राधिकारी, अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे तथा उसका आदेश अन्तिम होगा:

परन्तु कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे प्रभावित होने वाले पक्षकार और एजेन्सी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना के प्रारूप का तैयार किया जाना.

५. (१) एजेन्सी ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसे कि धारा ४ के अधीन अधिसूचित कर दिया गया हो, निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना का प्रारूप तैयार करेगी जिसमें ऐसी विषय-वस्तुएं होंगी जो कि समुचित समझी जाएं.

(२) ऐसा प्रारूप तैयार करने के प्रयोजन से एजेन्सी, क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र तैयार करने तथा ऐसी अन्य कार्रवाईयां करने के लिए, जैसी कि ऐसी योजना को तैयार करने के लिए आवश्यक हों, किसी अधिकारी/संगठन को प्राधिकृत कर सकेगी.

(३) तदुपरांत एजेन्सी द्वारा इस निमित्त या तो साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत किसी अधिकारी/संगठन के लिए तथा उसके सेवकों तथा कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे:—

(क) ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश करें और सर्वेक्षण करें तथा किसी भूमि को समतल करें;

(ख) अवमृदा में बोर की खुदाई करें;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए अनुकूल हो सकती है, आवश्यक अन्य सभी कार्य करें;

(घ) प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमाएं तथा उन पर किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य उपवर्णित करें;

(ङ) चिन्ह लगाकर तथा खाइयां काटकर ऐसे तल, सीमाएं तथा लाईनें चिन्हित करें:

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवासगृह से लगे हुए किसी प्रांगण या बगीचे में उसके अधिभोगी की सहमति के बिना तथा ऐसे अधिभोगी को, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम सात दिन पूर्व लिखित सूचना बिना प्रवेश नहीं करेगा.

निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना की विषय-वस्तु.

६. धारा ५ के अधीन निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना में,—

(क) योजना क्षेत्र में प्रस्तावित भू-उपयोग व्यापक रूप से उपदर्शित किया जाएगा;

(ख) प्राकृतिक रूप से संकट प्रणत क्षेत्रों के विनियमन को ध्यान में रखते हुए भूमि को, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से क्षेत्रों या परिक्षेत्रों में बांटा जाएगा—

(एक) औद्योगिक, आवासिक, व्यावसायिक, कृषिक और आम उपयोग और सुख-सुविधाओं के लिए;

(दो) खुले स्थानों, उद्यानों और बगीचों, हरित क्षेत्रों, चिड़ियाघरों तथा खेल के मैदानों के लिए;

(तीन) सार्वजनिक संस्थाओं और कार्यालयों के लिए;

(चार) सड़कों के नेटवर्क के लिए;

(पांच) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसे एजेन्सी उचित समझे;

(ग) योजना के क्षेत्रों को शेष अन्य क्षेत्रों, रिंगरोड़, मुख्य मार्गों और उसके आसपास के बड़े मार्गों से राजमार्ग को जोड़ने के लिए तरीका अधिकथित करना;

(घ) सामान्य भूदृश्य तथा प्राकृतिक क्षेत्रों के परिरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करना;

(ङ) योजना क्षेत्र के लिए अपेक्षित सुख-सुविधाओं तथा जन उपयोगी सेवाओं जैसे जल, जल निकास, विद्युत् आदि के लिए परियोजना बनाना और उन्हें पूरा करने के लिए सुझाव देना;

(च) प्रत्येक परिक्षेत्र या सेक्टर के भीतर परिक्षेत्रीकरण के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में, भवनों तथा संरचनाओं की ऊंचाई तथा आकार अवधारित करने तथा वह उपयोग अवधारित करने के लिए, जो कि ऐसे भवनों तथा संरचनाओं तथा भूमि आदि का किया जा सकता है, विस्तृत विनियमन का प्रस्ताव करना;

(छ) किसी योजना क्षेत्र में यातायात की व्यापक संचार व्यवस्था अधिकथित करना;

(ज) भवनों तथा संरचनाओं के अग्रभाग के लिए वास्तुकलात्मक नियन्त्रण, विशेषताएं तथा ऊंचाई के लिए सुझाव देना; और

(झ) बाढ़ नियन्त्रण, वायु तथा जल प्रदूषण निवारण तथा अपशिष्ट का निपटान तथा सामान्य पर्यावरणीय नियन्त्रण के लिए उपाय सुझाना.

एजेन्सी द्वारा योजना के प्रारुप का प्रकाशन.

७. (१) एजेन्सी, यथासंभव धारा ४ के अधीन योजना क्षेत्र के अन्तिम प्रकाशन की तारीख से १८० दिन की कालावधि के भीतर योजना का प्रारूप तैयार करेगी.

(२) एजेन्सी द्वारा इस प्रकार तैयार किया गया विकास योजना का प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा भूमि स्वामियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से जो कि हितबद्ध हों, आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए, ऐसी रीति में भी प्रकाशित किया जाएगा जो कि विहित की जाए.

आपत्तियां, अपील, अनुमोदन और अन्तिम प्रकाशन.

८. (१) वे आपत्तियां और सुझाव, जो कि उक्त विकास योजना के प्रारूप के संबंध में, धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन एजेन्सी को प्राप्त हों, एजेन्सी द्वारा सुने तथा विनिश्चित किए जाएंगे.

(२) एजेन्सी ऊपर धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन की गई आपत्तियों का, यदि कोई हों, विनिश्चय करने के पश्चात्, विकास योजना के अन्तिम प्रारूप को ऐसे उपांतरणों के साथ, जो कि वह उचित समझे, अनुमोदित करेगी. इस प्रकार अनुमोदित योजना राजपत्र में तथा उस क्षेत्र में, जिसमें कि योजना कार्यान्वित की जानी है, व्यापक प्रसार रखने वाले दो समाचार-पत्रों में भी विहित रीति प्रकाशित की जाएगी.

(३) इसमें इसके ऊपर एजेन्सी द्वारा उपधारा (२) के अधीन किए गए किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अन्तिम योजना क्षेत्र के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन से ३० दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और अपील प्राधिकारी ४५ दिन के भीतर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, ऐसी अपील का विनिश्चय करेगा.

भूमि का अर्जन.

९. (१) एजेन्सी, धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन योजना के अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, स्वामी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, करार निष्पादित करते हुए भूमि अर्जित करने की कार्यवाही करेगी.

(२) एजेन्सी, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १) के अधीन कोई ऐसी भूमि अर्जित करने के लिए, जिसका स्वामी राजपत्र में योजना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर इसमें इसके ऊपर उपधारा (१) में वर्णित करार नहीं करता है, जिला कलक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी.

(३) जिले का कलक्टर, एजेन्सी द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर, सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् एजेन्सी को सरकारी भूमि, आबंटित कर सकेगा और इसके पश्चात् सभी विल्लंगमों से मुक्त ऐसी भूमि एजेन्सी में निहित हो जाएगी.

(४) एजेन्सी, ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर, जो इसमें इसके ऊपर उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन करार के माध्यम से या उपधारा (२) के अधीन अर्जित की जाकर प्राप्त की जाए, ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध योजना का निष्पादन प्रारम्भ कर सकेगी.

अध्याय—तीन

विकास पर नियन्त्रण

विकास तथा भू-उपयोग पर नियन्त्रण.

१०. (१) योजना क्षेत्र में भूमि के विकास एवं उपयोग का समग्र नियन्त्रण राज्य सरकार में निहित होगा.

(२) इसमें इसके ऊपर उपधारा (१) के तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, योजना क्षेत्र में भूमि के विकास एवं उपयोग को समग्र नियन्त्रण, ऐसी तारीख जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एजेन्सी या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी में निहित हो जाएगा.

(३) राज्य सरकार, योजना क्षेत्र में विकास एवं भूमि के उपयोग को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के लिए नियम बना सकेगी और किसी योजना क्षेत्र में उक्त नियमों को अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, लागू कर सकेगी.

(४) किसी योजना क्षेत्र में नियमों के लागू होने पर, इस धारा के उपबंध तथा उनका उस योजना क्षेत्र को लागू होना उन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

एजेन्सी द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसार विकास.

११. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४), मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इसमें इसके ऊपर धारा ४ की उपधारा (७) के अधीन योजना क्षेत्र के प्रारूप का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति प्रकाशित किए गए योजना क्षेत्र के भीतर एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत विकास के अनुसार के सिवाय किसी भूमि या भवन के उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या कोई विकास कार्य नहीं करेगा.

अंतिम योजना, योजना क्षेत्र की विकास योजना होगी.

१२. (१) योजना, धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन, इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से प्रवृत्त होगी.

(२) योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात्, भूमि का उपयोग एवं विकास, योजना के उपबंधों के अनुसार होगा :

परन्तु राज्य सरकार, स्वविवेक से, निर्मित क्षेत्र का, उस प्रयोजन के लिए जिसके के लिए उसका योजना प्रवर्तित किए जाने के समय उपयोग किया जा रहा था, उपयोग जारी रखने की अनुज्ञा दे सकेगी.

(३) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १७२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस धारा के अधीन भूमि व्यपवर्तित करने के लिए दी गई प्रत्येक अनुज्ञा, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अन्तिम रूप से प्रकाशित विकास योजना के अध्यधीन होगी.

कतिपय अधिनियमों के उपबंधों का राज्य सरकार की अधिसूचना से प्रवर्तन में न रहना.

१३. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४), मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् या ग्राम पंचायत अनुमोदित योजना क्षेत्र के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग या उन कृत्यों का पालन या उन कर्तव्यों का निर्वहन करने से, ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, प्रविरत हो जाएंगे.

भूखण्ड का संविलियन या विभाजन.

१४. (१) एजेन्सी या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, स्वामी के आवेदन पर, इस अधिनियम के उपबंधों के और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, भूखण्ड के संविलियन या विभाजन को अनुज्ञात कर सकेगा.

(२) इसमें इसके ऊपर उपधारा (१) के अधीन दिए गए आवेदन में ऐसे ब्यौरे तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगे और उसके साथ ऐसा शुल्क होगा जैसा कि विहित किया जाए.

अप्राधिकृत विकास, भवन निर्माण या विकास योजना या योजना के अनुरूपतः उपयोग से भिन्न उपयोग करने के लिए शास्ति.

१५. कोई भी व्यक्ति, जो या तो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना;

(ख) दी गई अनुज्ञा के या किसी ऐसी शर्त के जिसके कि अध्यधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, उल्लंघन में;

(ग) विकास संबंधी या भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा के सम्यक् रूप से प्रतिसंहृत कर दिए जाने के पश्चात्;

(घ) ऐसी अनुज्ञा के जो कि सम्यक् रूप से उपांतरित कर दी गई हो, उल्लंघन में,

किसी भी भूमि के विकास, भवन निर्माण का कोई कार्य प्रारम्भ करेगा, हाथ में लेगा या उसे कार्यान्वित करेगा या उसके उपयोग में कोई परिवर्तन करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा.

अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.

१६. एजेन्सी को, अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किए गए किसी विकास के संबंध में किसी निर्मित भवन या किए गए किसी निर्माण को ढहाने, तोड़ने अथवा हटाने की तथा इस प्रकार ढहाए जाने, तोड़े जाने या हटाए जाने में हुए व्यय को, संबंधित व्यक्ति से, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, वसूल करने की शक्ति होगी.

एजेन्सी के आदेश के विरुद्ध अपील.

१७. (१) एजेन्सी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, विनिश्चय की तारीख से ३० दिन के भीतर (जिनमें सार्वजनिक अवकाश के दिन भी सम्मिलित हैं, अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

(२) अपील प्राधिकारी, एजेन्सी और व्यथित व्यक्ति की सुनवाई करने तथा समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा या एजेन्सी द्वारा किए गए विनिश्चय को उपांतरित कर सकेगा. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा.

शर्तों के भंग की दशा में आवंटन, बकाया की वसूली, शास्ति तथा समपहरण.

१८. (१) योजना क्षेत्र में एजेन्सी द्वारा विकसित किए गए या विकसित किए जाने वाले परिसर, भूमि या सुख-सविधाएं, एजेन्सी द्वारा अधिकथिक पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार, आवंटित किए जाएंगे.

(२) जहां कोई अंतरिती, आवंटन या एजेन्सी द्वारा परिसर, भूमि या सुख-सुविधाओं के अंतरण के प्रतिफल के रूप में शोध्य किसी धन या उसकी किसी किस्त का या किसी अन्य रकम का या किसी पट्टे के संबंध में एजेन्सी को शोध्य किसी भाटक या प्रभार का भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अंतरिती या अधिभोगी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रभारों के या किसी शुल्क के भुगतान में व्यतिक्रम करता है, वहां एजेन्सी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, अंतरिती या अधिभोगी से, बकाया राशि के अतिरिक्त ब्याज और/या शास्ति के रूप में ऐसी और राशि वसूल की जाए जो कि विहित की जाए.

(३) एजेन्सी द्वारा किसी परिसर, भूमि या सुख-सुविधाओं के अंतरण के प्रतिफल के रूप में शोध्य धन या उसकी किसी किस्त के अंसदाय की दशा में या ऐसे अंतरण की किसी शर्त के भंग की दशा में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के भंग की दशा में, एजेन्सी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अंतरित किए गए परिसर, भूमि या सुख-सुविधाओं को वापस प्राप्त कर सकेगा और उनके संबंध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, समपहृत कर सकेगा.

(४) जहां एजेन्सी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसमें इसके ऊपर उपधारा (३) के अधीन किसी स्थल या भवन को वापस प्राप्त करने का आदेश देता है, वहां एजेन्सी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी एजेन्सी की ओर से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, उसका कब्जा ले सकेगा.

प्रवेश आदि की शक्ति.

१९. एजेन्सी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने अथवा उसे खोलने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा—

(क) कोई जांच करने, निरीक्षण करने, माप करने या सर्वेक्षण करने या ऐसी भूमि या भवनों का तल मापन करने;

(ख) निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण करना या किसी स्वामित्व वाली भूमि पर से मल व्यवस्था या जल निकासी के मार्ग को अभिनिश्चित या तय करना;

(ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या कोई भवन बिना मंजूरी के या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन दी गई मंजूरी या अनुज्ञा के उल्लंघन में निर्मित या पुन: निर्मित किया जा रहा है या किया गया है;

(घ) इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य करना.

अध्याय–चार

एजेन्सी द्वारा उपबंधित किए जाने वाले कर तथा विषय

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले कर.

२०. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी योजना क्षेत्र में या उसके किसी भाग में निम्नलिखित कर अधिरोपित कर सकेगी :—

(क) अधिसूचित निवेश विकास क्षेत्र में अवस्थित भवनों या भूमि के स्वामियों पर कर;

(ख) सार्वजनिक प्रसाधनों के विनिर्माण और अनुरक्षण के लिए साधारण स्वच्छता उपकर;

(ग) जहां एजेन्सी द्वारा सार्वजनिक मार्गों तथा स्थानों की प्रकाश व्यवस्था की जाती है वहां साधारण प्रकाश कर;

(घ) अग्नि सेवाओं के संचालन और प्रबन्धन के लिए तथा किसी अग्निकाण्ड की दशा में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए साधारण अग्नि कर;

(ङ) ऐसी संपत्तियों पर आसुधारकर, जिनके कि मूल्य में एजेन्सी द्वारा निवेश क्षेत्र विकास योजना हाथ में लेने के परिणामस्वरूप अभिवृद्धि हो सकती हो;

(च) एजेन्सी द्वारा विनिर्मित पुलों और सड़कों पर पथ कर;

(छ) होर्डिंग या बोर्ड के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों पर कर;

(ज) थिएटरों, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल तथा सार्वजनिक मनोरंजन के लिए किए जाने वाले अन्य प्रदर्शनों पर कर;

(ङ) वाणिज्यिक तथा कार्यालय संकलों पर कर.

(२) इसमें इसके ऊपर वर्णित करों के निर्धारण, संग्रहण तथा उनकी वसूली का तरीका ऐसी रीति में होगा जैसी कि विहित की जाए.

(३) इसमें इसके ऊपर उपधारा (१) के अधीन उद्‌गृहीत किए जाने वाले कर राज्य सरकार और एजेन्सी के स्वामित्व वाले या उनमें निहित भवनों और भूमियों पर उद्‌ग्रहणीय नहीं होंगे.

(४) उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि या भवन पर उद्‌ग्रहीत किए जाने वाले कर के संदाय का दायित्व उसके स्वामी पर होगा.

(५) स्वामी पर प्रभारित और उद्‌ग्रहणीय कर भूमि या भवन के अधिभोगी से भी ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, वसूल किए जा सकेंगे.

(६) निर्धारित किए गए कर की रकम के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐजेन्सी या एजेन्सी द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील की जाएगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.

२१. एजेन्सी इस निमित्त किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुमोदित योजना क्षेत्र के भीतर दी गई निम्नलिखित सेवाओं के लिए, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित कर सकेगी :—

(क) उन भूमियों और भवनों के संबंध में जलप्रदाय का प्रबन्ध करने के लिए जल प्रभार, जिनमें एजेन्सी द्वारा जल प्रदाय किया जाता है;

(ख) जल निकासी, मलवहन या निकास प्रभार, जहां उनके निपटान की कोई प्रणाली आरम्भ की गई है;

(ग) ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए प्रभार, जहां एजेन्सी ने अपशिष्ट के प्रबन्ध की कोई प्रणाली आरम्भ की है;

(घ) एजेन्सी द्वारा दी गई किन्हीं अन्य विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रभार.

एजेन्सी द्वारा उपबंधित किए जाने वाले विषय.

२२. (१) एजेन्सी, साधारणतया योजना क्षेत्र में निम्नलिखित में से प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त उपबंध करेगी, अर्थात् :—

(क) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तथा भवनों की प्रकाश व्यवस्था करना;

(ख) सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और मल नालियों तथा उन समस्त जगहों की सफाई जो निजी संपत्ति न हों, जो सार्वजनिक मनोरंजन के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान एजेन्सी में निहित हों अथवा नहीं, हानिकारक वनस्पतियां हटाना तथा समस्त लोक न्यूसेंस समाप्त करना;

(ग) आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड का संधारण करना तथा आग लगने की दशा में जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करना;

(घ) खतरनाक या घृणोत्पादक व्यापार या व्यवसाय का विनियमन करना या उन्हें समाप्त करना;

(ङ) सार्वजनिक मार्गों और स्थानों से तथा उन स्थानों से जो निजी संपत्ति न हों, जो सार्वजनिक मनोरंजन के लिए खुले हों, बाधाओं और निर्गत भागों हो हटाना;

(च) खतरनाक भवनों या स्थानों से सुरक्षा प्रदान करना या उन्हें हटाया जाना;

(छ) सार्वजनिक मार्गों, पुलियों तथा सीमा चिन्हों, जल निकासों, मल व्यवस्था का संनिर्माण करना, परिवर्तन और संधारण करना तथा पेय जल के लिए सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(ज) समस्त जल कार्यों का प्रबन्धन तथा संधारण करना तथा सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त जल की पर्याप्त आपूर्ति कराने के लिए नवीन कार्यों तथा साधनों का संनिर्माण तथा संधारण करना;

(झ) योजना की भूमि पर प्रसाधनों तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का समुचित तथा सुविधाजनक स्थितियों में निर्माण करना और उनका संधारण तथा सफाई करवाना;

(ञ) एम्बुलेंस सेवा का संधारण;

(ट) एजेन्सी के कार्यालय तथा समस्त सार्वजनिक स्मारकों तथा एजेन्सी में निहित अन्य संपत्तियों का संधारण करना;

(ठ) यातायात के संकेतों का प्रबन्धन करना;

(ड) विद्यमान तथा एजेन्सी में निहित सार्वजनिक उद्यानों, बगीचों, मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा खुले स्थानों का संधारण करना;

(ढ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता की पूर्ति करना;

(ण) सार्वजनिक उद्यानों या बगीचे, पुस्तकालय, संग्रहालय, हॉल, थिएटर, स्टेडियम, कार्यालय, सराय, विश्रामगृहों और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना, उन्हें स्थापित करना तथा उनका संधारण करना;

(त) पौधे लगाना और सड़क के किनारों के तथा अन्य वृक्षों का संधारण करना;

(थ) सर्वेक्षण करना;

(द) आवारा कुत्तों तथा फालतू घूमने वाले सूअरों का या न्यूसेंस कारित करने वाले जानवरों का निरोध करना;

(ध) एजेन्सी द्वारा संधारित वाटर वर्क्स से निजी परिसरों को जलप्रदाय के लिए पाईप और अन्य फिटिंग सुनिश्चित करना या सहायता देना या उन्हें संधारित करना;

(न) मेले तथा प्रदर्शिनी या एथलेटिक्स तथा खेल प्रतियोगिताएं या टूर्नामेंट आयोजित करना;

(प) ऐसी सड़कों तथा भवनों और अन्य सरकारी कार्यों का निर्माण तथा संधारण करना जो कि सरकार एजेन्सी को अंतरित करें;

(फ) लोक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी का पता लगाने या अनुसंधान के लिए जल, भोजन या औषधियों के परीक्षण का विश्लेषण करने के लिए रासायनिक या जीवाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं का संगठन तथा उनका प्रबन्धन करना;

(ब) सार्वजनिक मार्गों पर जनसाधारण के लिए पेयजल स्रोत तथा जानवरों के लिए द्रोणिका का निर्माण करना और उनका संधारण करना;

(भ) चौराहों, बगीचों या अन्य सार्वजनिक गमन स्थलों पर संगीत बजाना;

(म) लोक सुविधा के लिए आवागमन की सुविधाओं का निर्माण, क्रय, संगठन, संधारण करना या उसका प्रबन्धन करना;

(य) आवारागर्दी को रोकना, दरिद्रालय स्थापित करना तथा उन्हें संधारित करना,—

(य क) मलवहन के निपटान के लिए कोई फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसे संधारित करना;

(य ख) लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि के लिए परिकल्पित स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक धोबीखाने, स्नानगृह और अन्य संस्थाएं;

(य ग) विद्युत् ऊर्जा या गैस के प्रदाय के लिए कोई उपक्रम क्रय करना या ऐसा कोई उपक्रम प्रारम्भ करना या उसे सब्सीडी देना;

(य घ) किसी विपत्ति की दशा से निपटने के उपाय करना;

(य ङ) लाजिंग हाउस और बोर्डिंग हाउस तथा होटलों का विनियमन करना;

(य च) सार्वजनिक चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक साधन स्थापित करना और उन्हें संधारित करना;

(य छ) वे विषय जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा को प्रोन्नत करने वाले हों;

(य ज) नगरीय विकास जिसमें शहरी विकास भी सम्मिलित है;

(य झ) भू उपयोग तथा भवन निर्माण का विनियमन करना;

(य ञ) आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना;

(य ट) उपरोक्त अंतर्विष्ट कोई भी बात, योजना क्षेत्र के लिए अपेक्षित किसी कार्य हेतु उपबंध करने की एजेन्सी की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगी.

(२) एजेन्सी या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी नुकसानी या विनिर्दिष्ट पालन का कोई वाद, इस आधार पर चलाने योग्य नहीं होगा कि इसमें इसके ऊपर विनिर्दिष्ट कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है.

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क से छूट.

२३. धारा ९ की उपधारा (१) में वर्णित करार तथा ऐसे करार को कार्यान्वित करने के लिए भू-स्वामी और एजेन्सी के बीच निष्पादित किसी लिखत पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.

करार की लिखत पर स्टाम्प शुल्क से छूट.

२४. धारा ९ की उपधारा (१) में वर्णित करार तथा ऐसे करार को कार्यान्वित करने के लिए भू-स्वामी और एजेन्सी के बीच निष्पादित किसी लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.

योजना का उपरांतरण.

२५. राज्य सरकार, एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर और यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो योजना को ऐसी रीति में और उस सीमा तक जो कि समुचित हो, उपांतरित कर सकेगी.

निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध योजना का लोक प्रयोजन के लिए समझा जाना.

२६. योजना के प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १) के अर्थ के अन्तर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक भूमि समझी जाएगी.

संपत्ति का निपटारा.

२७. एजेन्सी उसके द्वारा धारित संपत्ति का निपटारा ऐसी रीति में करेगी जैसी कि विहित की जाए.

सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे.

२८. एजेसी के समस्त सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी जबकि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२९. एजेन्सी या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी.

एजेन्सी को अपने मामलों के प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति.

३०. (१) एजेन्सी अपने मामलों के प्रशासन के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से अनुअसंगत विनियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) एजेन्सी का सम्मिलन बुलाना तथा सम्मिलन कराना तथा उसकी गणपूर्ति हेतु सदस्यों की आवश्यक संख्या;

(ख) एजेन्सी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां तथा कर्तव्य;

(ग) एजेन्सी की सम्पत्तियों का प्रबन्धन;

(घ) एजेन्सी द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले शुल्क तथा प्रभार;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाना हों.

एजेन्सी द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.

३१. एजेन्सी, धारा ४, ७ तथा ८(३) के अधीन की शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को या उसमें निहित की गई किन्हीं शक्तियों को, उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या उसके किसी अधिकारी को जिसे कि वह समुचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी.

निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.

३२. (१) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त की गई एजेन्सी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, नीतिगत मामलों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगी जो राज्य सरकार द्वारा उसे दिए जाएं.

(२) यदि राज्य सरकार और एजेन्सी के बीच इस संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है कि कोई प्रश्न नीतिगत प्रश्न है या नहीं तो राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

नियत तथा विनियम बनाने की शक्ति.

३३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

(२) एजेन्सी, इस अधिनियम और उसके बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी.

कठिनाइयों का दूर किया जाना.

३४. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित विविध प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न राज्य है. राज्य की केन्द्रीय स्थिति इसे देश में विशिष्ट लॉजिस्टिक महत्व प्रदान करती है. इस संदर्भ में उच्च गुणवत्ता वाली औद्योगिक अधोसंरचना, आर्थिक कारीडोर तथा वृहद् विनिर्माण तथा वाणिज्यिक हबों की स्थापना का विशेष महत्व है.

२. प्रदेश में वृहद् निवेश एवं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से उपरोक्त उद्‌देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है. यह रणनीति मध्यप्रदेश सहित ६ राज्यों से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर (डी.एम.आई.सी.) के विकास में भारत सरकार की रणनीति के अनुरूप है.

३. भारत सरकार द्वारा दिल्ली एवं मुंबई के मध्य ''डेडीकेटेड फेट कारीडोर'' परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है. इस कारीडोर के दोनों ओर पड़ने वाले १५० किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को इण्डस्ट्रीयल कारीडोर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा प्रदेश के १० जिले इस कारीडोर के अंतर्गत आएंगे. राज्य सरकार द्वारा दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर के अंतर्गत प्रदेश में २ वृहद् निवेश क्षेत्र (मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन) तथा २ वृहद् औद्योगिक क्षेत्र (मेगा इण्डस्ट्रीयल रीजन) विकसित किया जाना प्रस्तावित है. इन निवेश/औद्योगिक क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता की अधोसंरचना वाले वैश्विक निर्माण एवं व्यापारिक संकुल के रूप में विकसित किया जाना है. उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

४. उपरोक्त संदर्भ में, प्रदेश में विश्वस्तरीय वृहद् निवेश क्षेत्र के समेकित नियोजन, विकास, प्रबंधन तथा संधारण को सुकर बनाने के उद्‌देश्य से ''मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबन्ध विधेयक, २०१३'' को पुर:स्थापित किया जाना आवश्यक और समीचीन है.

५. इस विधेयक में निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध योजना तैयार किये जाने, विकास पर नियंत्रण, एजेंसियों द्वारा कर अधिरोपित किया जाना तथा निवेश क्षेत्रों में इकाइयों एवं सुख सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया, परिसर आवंटन, बेदखली तथा शोध्यों की वसूली, शिकायत निवारण एवं अधिनियमों के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने एवं निर्देश जारी करने के अधिकार के संबंध में उपबंध हैं. इस विधेयक में मुख्यत: निम्नलिखित विषयों के लिये उपबंध किया जाना प्रस्तावित है:—

(एक) निवेश क्षेत्र के विकास और प्रबंध हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोज्य विधि के अधीन गठित किसी एजेंसी को अधिकृत किया जा सकेगा. एजेंसी द्वारा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप योजना तैयार कर, राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् इसका प्रकाशन किया जाकर आपत्तियां, सुझाव आमंत्रित करने के उपरांत इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

(दो) एजेन्सी, भू-स्वामियों से, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, करार निष्पादित करके भूमि अर्जित कर सकेगी.

(तीन) आपसी समझौते से एजेन्सी द्वारा भूमिस्वामियों से अर्जित की गई भूमि के संबंध में निष्पादित अनुबंधों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अंतर्गत किसी भी शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी. इस प्रकार की छूट भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अंतर्गत भी प्राप्त होगी.

(चार) निवेश क्षेत्र की भूमि के विकास एवं उपयोग का समग्र नियंत्रण राज्य सरकार में निहित होगा.

(पांच) निवेश क्षेत्र की विकास योजना अंतिम हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति योजना क्षेत्र के भीतर प्रकाशित किए गए एजेन्सी द्वारा अंतिम रूप दिए गए विकास योजना के अनुसार के सिवाय उस क्षेत्र में भू-उपयोग में परिवर्तन या कोई निर्माण अथवा कोई विकास नहीं करेगा.

(छह) निवेश क्षेत्र के विकास एवं संधारण हेतु प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा निवेश क्षेत्र की सीमा में अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर एवं अन्य प्रभार अधिरोपित किये जा सकेंगे.

(सात) एजेन्सी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

(आठ) प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी पर राज्य सरकार द्वारा नीतिगत विषयों पर जारी किये गए निदेश बंधनकारी होंगे.

६. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ मार्च, २०१३.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध विधेयक, २०१३ के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं; उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ४-भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया/रीति, प्रारूप, योजना क्षेत्र के संबंध में आपत्तियॉ आमंत्रित करने की रीति/प्रक्रिया तथा प्रकाशित योजना क्षेत्र के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया,

खण्ड ७-प्रारूप, विकास योजना का राजपत्र में प्रकाशन कर, भू-स्वामियों आदि से आपत्तियां आमंत्रित करने की रीति/प्रक्रिया,

खण्ड ८-अनुमोदित विकास योजना का राजपत्र तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशन करने की प्रक्रिया, अंतिम योजना से व्यथित होकर अपील प्राधिकारी को अपील करने एवं अपील के विनिश्चय करने की रीति/प्रक्रिया,

खण्ड ९-भूमि स्वामियों के साथ भूमि की अदला-बदली करने हेतु करार का प्रारूप एवं निबंधन एवं शर्तें सुनिश्चित करने, करार के निष्पादन के आवश्यक प्रावधान, भूमि के अर्जन होते ही निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध योजना का निष्पादन प्रारंभ करने हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया की रीति,

खण्ड १०-योजना क्षेत्र में भूमि के विकास एवं भू-उपयोग के नियंत्रण हेतु विस्तृत प्रावधान एवं उपरोक्त नियंत्रण हेतु अधिकारी को नामांकित किए जाने की प्रक्रिया;

खण्ड ११-योजना क्षेत्र के प्रारूप का अनुमोदन हो जाने के उपरांत लागू न रहना एवं एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत विकास अनुसार ही विकास कार्य करने संबंधी प्रावधान नियत किए जाने,

खण्ड १२-अंतिम विकास योजना के प्रकाशन उपरांत भू-व्यपवर्तन संबंधी समस्त आदेश इस विकास योजना के तहत् उल्लेखित भू-उपयोग अनुसार ही किए जाने की प्रक्रिया;

खण्ड १३-राज्य शासन की अधिसूचना के दिनांक से अधिनियम प्रवृत्त हो जाने,

खण्ड १४-विकसित भूखण्डों के संविलियन अथवा विभाजन संबंधी प्रक्रिया, आवेदन का प्रारूप आदि सुनिश्चित करने,

खण्ड १६-अप्राधिकृत विकास/निर्माण को ढहाने, तोड़ने अथवा हटाये जाने की रीति सुनिश्चित किए जाने,

खण्ड १८-भूमि/भवन के आवंटन की प्रक्रिया, बकाये की वसूली, शर्तों के उल्लंघन की दशा में आवंटन निरस्ती, शास्ति तथा समपहरण, संपत्ति का कब्जा लिये जाने की रीति,

खण्ड २०-वर्णित करों के निर्धारण, संग्रहण, वसूली की प्रक्रिया आदि के निर्धारण करने की रीति,

खण्ड २१-उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण/निर्धारण बाबत् प्रक्रिया,

खण्ड २५-योजना का उपांतरण किए जाने की रीति,

खण्ड २७-एजेन्सी द्वारा धारित संपत्ति के निपटारा/व्ययन की प्रक्रिया निर्धारित किए जाने;

खण्ड ३०-एजेन्सी को विनियम बनाने,

खण्ड ३१-एजेन्सी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शक्तियों का प्रयोजन करने, तथा

खण्ड ३३-अधिसूचना द्वारा नियम/विनियम बनाये जाने

के संबंध में नियम बनाए जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.